IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत की संघात्मक व्यवस्था में एक देश एक चुनाव की अवधारणा : समीक्षात्मक अध्ययन

Rekha Mathur
Asst.Professor political science
Pt.DeenDayal Upadhyay rajkiya Mahila Mahavidyalay Farah Mathura

शोध सारांश

एक देश एक चुनाव के विषय में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के विषय पर लंबे समय से विचार चल रहा है। इस विषय पर चुनाव आयोग, विधि आयोग, नीति आयोग व संविधान समीक्षा आयोग भी अपने विचार प्रकट कर चुका है। इसी संबंध में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के विषय पर विभिन्न राजनीतिक दलों,क्षेत्रीय पार्टियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के विचार जानने के लिए तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कांफ्रेंस में अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया उनका मानना है कि यह विचार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है अर्थात संघात्मक ढांचा के विपरीत है।

इस लेख के अंतर्गत कई प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे जैसे : इस तरह के चुनाव की आवश्यकता क्यों है? इसकी पृष्ठभूमि क्या हैं? इस तरह की योजना राजनीतिक दुर्भावना से किस हद तक प्रभावित है? इस प्रकार की योजना से भारतीय संघात्मक ढांचा किस हद तक प्रभावित होगा आदि जैसे निष्कर्ष निकलने का प्रयास रहेगा।

संकेताक्षर

एक देश एक चुनाव, संघात्मक बुनियादी ढांचा, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल,राष्ट्रीय मुद्दे,क्षेत्रीय मुद्दे, संविधान संशोधन, अनुच्छेद, भारतीय निर्वाचन आयोग,आचार संहिता, विधि आयोग,नीति आयोग, ईवीएम, वीवीपैट,नोटा

विषय का परिचय

भारत राज्यों का एक संघ है और संघ तथा राज्यों के बीच के संबंधों को भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में संघ (Federation) शब्द के स्थान पर राज्यों का संघ (Union of State) शब्द का प्रयोग किया गया है।[1]

संविधान सभा में इस शब्द के प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यद्यपि संविधान की संरचना संघात्मक है किंतु समिति ने राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसके कुछ अलग लाभ हैं संविधान सभा में इन लाभों की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया कि राज्यों का संघ अर्थात भारत का परिचय इकाइयों के बीच करार का परिणाम नहीं है साथ ही किसी भी संगठन इकाई को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है।[2]

[1] दुर्गा दास बसुए भारत का संविधानरू एक परिचयए2014एपृष्ठ 369द्ध

[2] ड्रॉफ्टस कांस्टीट्यूशनए21.2.1948ए पृष्ठ 43ण्द्ध

मॉरिस जॉन्स , मारकुस फ्रांडा, अशोक चंदा ने भारतीय संघ व्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन विचारकों की अवधारणा है कि नियोजन के फलस्वरूप भारत में न केवल संघ व्यवस्था का अंत हो गया है अपितु संसदीय प्रणाली विलुप्त सी हो गई है।[3]

मॉरिस जॉन्स ने लिखा है कि भारत में केवल सहयोगी संघवाद है और इस सहयोगी संघवाद में से एक सौदेबाजी की भी प्रति झलकती है। [4]

मारकुस फ्रांडा,के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था का कोई एक रूप नहीं है बल्कि उसके विभिन्न रूप हैं विभिन्न राज्यों के संदर्भ में संघ व्यवस्था ने एक गतिशील रूप धारण कर लिया है।[5]

भारत की संवैधानिक प्रणाली आधारभूत रूप से परिसंघीय है किंतु इसमें कुछ एकात्मक तत्व उपस्थित है।

भारत की राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनेक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया है । इस समय भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है।[6]

एक देश एक चुनाव कि अवधारणा

एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा से तात्पर्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने के विचार पर केंद्रित है। इसका मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और मतदान भी एक साथ होने की संभावना है।

भारत में, जब मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या वह किसी कारण से भंग हो जाती है, तो संसद सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव अलग-अलग आयोजित किए जाते हैं।

लेकिन एक देश एक चुनाव के अंतर्गत इन दोनों ही इकाइयों के चुनाव एक साथ आयोजित कराने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

एक देश एक चुनाव का इतिहास

असल में एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार नया नहीं है बल्कि भारत में 1951 से 1967 तक केंद्र और राज्य दोनों के चुनाव एक साथ ही हुए। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया और उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। इससे चुनावी कार्यक्रम में बदलाव करने पड़े,तब से यह एक साथ होने वाले चुनाव अलग-अलग समय पर होने लगे। हालांकि चुनाव आयोग ने वर्ष 1982-83 में एक संशोधन करने का सुझाव दिया था, ताकि चुनाव फिर से एक साथ आयोजित किया जा सके। लेकिन तब इन विचार को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 1999 में न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने भी एक चुनाव की वकालत की। हालिया में बनी एक उच्च स्तरीय समिति के पहले नीति आयोग और संसदीय स्थाई समिति जैसी संस्थाएं पहले ही एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच कर चुकी है। इस संबंध में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने दिसंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो वहीं 2017 में नीति आयोग ने बार-बार होने वाले चुनाव के कारण शासन में होने वाले व्यवधान को ध्यान में रखते हुए एक साथ दो चरणों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का सुझाव दिया था। इसके साथ ही 21वें विधि आयोग ने सभी हित धारकों से परामर्श करने के बाद मसौदा तैयार किया था। इस रिपोर्ट में विधि आयोग ने माना था कि एक साथ चुनाव कराना आदर्श और वांछनीय है। तो इन रिपोर्ट से इतना तो साफ है कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है बल्कि गाहे बगाहे इसकी चर्चा होती ही रहती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं तो फिर अब क्या दिक्कत है क्यों विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इसका जवाब जाने उससे पहले यह जानना आवश्यक है की विभिन्न आयोगों और समितियां के अनुसार इसके फायदे क्या है तो एक साथ चुनाव होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि :

[3] Chand Ashok: Federalism in India, MacMillan, London 1965,

[4] Jons Morris: Government and Politics of India, Washington DC 1960

[5] Franda F Marcus: West Bengal and Federalism process in India, Prineeton University Press,1968p.384)

[6] रूपा मंगलानीए भारतीय शासन एवं राजनीति राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 2020ए पृष्ठ 189द्ध

1. यह सरकार को हर समय चुनावी मोड में न रहने के कारण शासन पर ज्यादा ध्यान देने में सक्षम बनाएगा। साथ ही सरकार हमेशा लोक लुभावने फैसले लेने से बचेगी और विकास कार्यक्रमों पर न केवल ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगी बल्कि कई ऐसे कठोर फैसले भी लिए जा सकेंगे जो हित में तो है लेकिन एक बड़ा तबका उसका विरोध कर रहा हो ।
2. इसके साथ ही यह कार्यपालिका,नौकरशाही और पुलिस प्रशासन की वयस्ता को काम करेगा इससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन पंगु होने से बचेगा।
3. चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और इस दौरान नए नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लग जाती है ताकि चुनाव को प्रभावित होने से बचाया जा सके तो ऐसे में लंबे अंतराल तक केंद्र,राज्य और स्थानीय निकायों में प्रमुख नीतिगत निर्णय में देरी होती है और कई परियोजनाएं मझधार में ही अटक जाती हैं तो इससे इस कमी को भी दूर किया जा सकेगा।
4. भारत में चुनाव की एक सबसे बड़ी कमी है इसमें धन का बढ़ता प्रयोग एक साथ चुनाव कराने पर इसमें कटौती होगी जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और भ्रष्टाचार, कालेधन गलत तरीके से धन उगाही और चंदा पर रोक लगेगी।
5. अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो चुनाव आयोग के भी कई खर्च कम होंगे जैसे 2009 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1115 करोड़ की लागत आई थी। जो 2014 में 3 गुना होकर लगभग 3870 करोड़ रुपए हो गई।रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2019 के लोकसभा चुनावों में 60000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।
6. इसके अलावा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में 300 करोड़ और 2017 में गुजरात में 240 करोड़ खर्च हुए । ऐसे में बार-बार होने वाले चुनाव ऐसी लागतों को अनुकूलित करने के अवसर को छीन लेते हैं और हर साल सार्वजनिक धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च हो जाता है
7. इसके विपरीत अपने स्तर पर किए गए कुछ विश्लेषण बताते हैं कि चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने पर 4500 करोड रुपए का ही खर्च आएगा । इसे सार्वजनिक धन की बचत होगी जिसे बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा।
8. इसके साथ ही सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का उपयोग हो सकेगा। इससे मतदाता सूची को अपडेट करने में खर्च होने वाले समय और धन की बड़ी बचत होगी । इससे नागरिकों के लिए भी आसान हो जाएगा क्योंकि एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद उन्हें मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता नहीं रहेगी।
9. एक साथ चुनाव होने से पुलिसकर्मी और अर्ध सैनिक बल की तैनाती को कम करना संभव हो सकेगा इससे उन पर काम का दबाव भी घटेगा और वह अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
10. इसके अलावा एक बार में चुनाव कराने का यह एक फायदा यह भी होगा कि इससे हॉर्सट्रेडिंग यानी सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त में भी कमी आएगी।
11. निश्चित अंतराल पर चुनाव कराने से प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तिगत लाभ हेतु पार्टियां बदलना या गठबंधन बनाना कठिन हो सकता है इससे सरकार को भी स्थायित्व मिलेगा और बार-बार नीति में परिवर्तन की गुंजाइश पर विराम लगेगा।
12. मतदाताओं को लुभाने के लिए बार-बार फ्री की घोषणा पर विराम लगेगा इससे राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
13. विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मतपत्र डालना अधिक आसान होगा।

अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब इसके इतने फायदे हैं तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। दरअसल कई क्षेत्रीय दलों का आरोप है कि इस कदम से

1. संघवाद प्रवृत्ति को धक्का लगेगा विशेषज्ञों का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संघवाद की अवधारणा से मेल नहीं खाता है क्योंकि संघवाद विविधता को मानता है जबकि वन नेशन वन इलेक्शन इस धारना पर आधारित है की संपूर्ण राष्ट्र एक है।
2. यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 का भी खंडन करता है जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है।
3. इस पर यह तर्क भी दिया जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय राजनीति क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करने लगेगी जिससे क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। इसे राजनीति में राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ेगा और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
4. यह बात आईडीएफसी इंस्टिट्यूट के 2015 के अध्ययन में भी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार 1999 से 2014 तक 77% मामलों में यह हुआ कि जब एक साथ चुनाव हुए तो भारतीय मतदाताओं ने राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक ही पार्टी को वोट दिया।
5. वन नेशन वन इलेक्शन से राज्य विधायिका पर भी केंद्र का प्रभाव बढ़ेगा इससे क्षेत्रीय संप्रभुता खतरे में आ जाएगी और राज्य की शक्तियां उनसे छीन ली जाएगी।
6. इसके अलावा कई लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इससे देश को संसदीय से राष्ट्रपति प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
7. वहीं अगर देश की राजनीति राज्य चुनावों को प्रभावित करने लगेगी तो इससे संघीय व्यवस्था में अस्थिर सरकारों का गठन होने लगेगा।
8. साथ में पंचायत और नगर निकाय के चुनावों को कराने का भी विरोध किया जा रहा है इसका कारण यह है कि देश में चुनावी शिक्षा को लेकर अभी भी जागरूकता का भाव है और एक साथ तीन-तीन चुनाव के लिए मतदाता प्रत्याशियों के चयन में गलती ना कर जाएं या एक ही पार्टी के सदस्यों को तीनों चुनाव में अपना वोट ना दे दे इसकी संभावना बरकरार है। पंचायत चुनाव के मुद्दे बहुत आम होते हैं उन पर राष्ट्रीय मुद्दों का बढ़ता दमखम भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं कहा जा सकता।
9. वही नोटा यानी नन ऑफ़ द अबोव को लेकर हमेशा यह चर्चा रहती है कि जहां नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले वहां चुनाव फिर से कराने पर विचार किया जाए ताकि जनता की अभिव्यक्ति को सही मायने में आवाज मिल सके लेकिन अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है तो शायद ऐसा नहीं हो पाए। इससे सशक्त लोकतंत्र की दिशा में भारत के बढ़ते कदम की संभावना यहीं खत्म हो जाएगी। बार-बार होने वाले चुनाव मतदाताओं को अपनी आवाज अधिक बार सुनाने की अनुमति देते हैं इससे सरकार जनता के हितों के प्रति लापरवाह नहीं रहती और इससे सरकार की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। एक बार में चुनाव होने से यह जवाबदेही नहीं रहेगी और लोकतंत्र लोगों की अभिवक्ति का इतना सशक्त माध्यम नहीं बन पाएगा ।
10. इसके अलावा अगर लोकसभा या किसी राज्य विधानसभा को अस्पष्ट जनादेश मिलता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा या नए चुनाव होंगे, तो क्या त्रिशंकु सरकार का गठन किया जाएगा, अगर हां तो फिर सरकार का ध्यान अपनी सत्ता को सुरक्षित करने पर रहेगा या जनता पर?
11. भारत ने त्रिशंकु या अस्थिर सरकार का एक लंबा दौर देखा है ऐसे में हम फिर से उस दौर कि ओर नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे में चुनाव का यह संयोजन दीर्घावधि में लोकतांत्रिक आदर्श के लिए खतरा है मौजूदा समय में जब लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टिया वैलेट पेपर से चुनाव कराने या सभी जगह वीवीपेट लगाने कि मांग कर रही हैं तो ऐसे में एक साथ चुनाव कराने के फैसले पर ही विपक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा हैं।
12. यह साबित करने के लिए भी कोई ठोस अध्ययन नहीं है कि एक साथ चुनाव कराने से लागत की बचत होगी। चुनाव के संचालन में होने वाली लागत अनिवार्य रूप से बेकार नहीं है क्योंकि चुनाव के दौरान प्रचार खर्च और आर्थिक गतिविधियों पर कई गुना प्रभाव पड़ता है।

संवैधानिक चुनौतियां

अब एक देश एक चुनाव के इन लाभ-हानि के बाद अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि इसे लागू करने में आखिर क्या-क्या चुनौतियां आएंगी। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि

1. लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के लिए सभी मौजूदा विधानसभाओं को भंग करने की आवश्यकता होगी,जिनके वर्तमान में अलग-अलग कार्यकाल है। कुछ के तो कार्यकाल अभी आधे भी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधानसभा तभी भंग की जा सकती है जब राज्य में सत्तारूढ़ सरकार स्वेच्छा से इसकी सिफारिश करती है और राज्यपाल सहमति देते हैं,या जब संवैधानिक तंत्र टूट जाता है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है । तो क्या सभी राज्य सरकार अपने कार्यकाल से पहले ऐसी सिफारिश करेंगे? क्योंकि यह नहीं माना जा सकता है कि राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के लिए सभी राज्यों में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से टूट जाए।
2. 1984 में भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा एस आर बोम्बाई मामले में सुनाया गया फैसला भी इसके आड़े आएगा।
3. दूसरा विकल्प यह है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 83(लोकसभा की अवधि) और 172 (राज्य विधानसभा अवधि)में संशोधन करें जिसके अनुसार क्रमशः लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा जब तक की पहले भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक की नियुक्ति तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी । लेकिन अकेले संसद ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि यह संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा। ऐसे में संसद को आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कम से कम पांच संवैधानिक प्रावधानों यानी अनुच्छेद 83,85,172,174 और अनुच्छेद 356 में संशोधन करने होंगे।
4. इस संबंध में जैसा की 2018 के विधि आयोग की मसौदा रिपोर्ट में कहा गया था कि अनुच्छेद 172 और 356 में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ऐसे में यह राह मुश्किल नजर आती है ।
5. इसके साथ ही लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के कानून में भी संशोधन करना होगा।
6. एक साथ चुनाव कराने के लिए लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम और मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट की व्यवस्था करने की तार्किक चुनौतियां भी सामने होगी।
7. संसद में कानून मंत्री ने बताया था कि मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग के पास ईवीएम 13.6 लाख नियंत्रण इकाइयां और 17.77 लाख मतपत्र इकाइयां थी। अन्य 9.09 लाख नियंत्रण इकाइयां और 13.26 लाख मतपत्र इकाइयां थी। जिसमें कुल मिलाकर 22.15 लाख नियंत्रण इकाइयां और 31.3 लाख मतपत्र इकाइयां होंगी। यानी ईवीएम अभी भी कम है। 2024 तक इन ईवीएम की भरपाई शायद संभव ना हो सके।
8. इसके साथ ही कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थाई समिति ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम और वीवीपैट की खरीद के लिए कुल 9284.15 करोड रुपए की जरूरत होगी।
9. मशीनों को हर 15 साल में बदलने की भी आवश्यकता होगी जिस पर फिर से खर्च करना होगा। इसके अलावा इन मशीनों के भंडारण में भंडारण लागत भी बढ़ जाएगी।
10. 2021 में संसद में कानून मंत्री द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार 2014 से 2019 तक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनाव कराने के लिए कुल 5814.29 करोड रुपए दिए। वहीं चुनाव आयोग का 5 वर्षों में कुल खर्च 8000 करोड़ का आया जो सालाना 1500 करोड रुपए या प्रति मतदाता प्रतिवर्ष मात्र 27 रुपए है। जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए अधिक खर्चीला नहीं माना जा सकता। अभी भारतीय चुनाव आयोग पूरे विश्व में सबसे सस्ते चुनाव के लिए जाना जाता है। ऐसे में कई विश्लेषक यह कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चे में कटौती नहीं होगी उल्टे उसमें वृद्धि होगी।
11. इसके अलावा एक साथ बड़ी संख्या में देश भर में केंद्रीय बलों को तैनात करने की चुनौती भी आसान नहीं होगी।

वैचारिक और लोकतांत्रिक चुनौतियाँ हैं।

लोकतंत्र में बार-बार चुनाव अच्छे हो सकते हैं क्योंकि मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ अधिक बार सुनी जाए। प्रतिनिधि जवाबदेह होते हैं और कार्यकाल के दौरान मतदाताओं के साथ अधिक नियमित रूप से बातचीत करने के लिए मजबूर होते हैं। इसके अलावा, अलग-अलग चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे आपस में न मिलें क्योंकि अगर संयुक्त हो जाएं, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनके बड़े राष्ट्रीय मुद्दों में समाहित होने का खतरा है।
राष्ट्रीय चुनावों और राज्य-स्तरीय चुनावों के अंतर्निहित विषय अलग-अलग हैं। किसान संकट, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा,अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे लोकसभा चुनावों के दौरान बड़े हो सकते हैं, विधानसभा चुनाव आमतौर पर कानून व्यवस्था, बिजली, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और एन्सेफलाइटिस या बाढ़ के कारण होने वाली मौतों जैसे विषयों पर जीते या हारे जाते हैं।

क्या इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति है?

प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस (INC) तृणमूल कांग्रेस (TMC) बहुजन समाज पार्टी (BSP) समाजवादी पार्टी (SP)और द्रविड़ मुनेत्र कड़कम (DMK) सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख शामिल नहीं हुए। जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) ने इसमें भाग लेने के लिए प्रतिनिधि भेजे।
तो चलिए इन सब मुद्दों के बाद भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती हैं।

सुझाव

दरअसल सभी नीतियां अपने साथ कई फायदे नुकसान लेकर आती है और कुछ लोगों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है तो कुछ के द्वारा विरोध, लेकिन सरकार को निर्णय लेने से पहले इस बात का अच्छे से आकलन करने की जरूरत है कि-

1. इसके फायदे के बिंदु ज्यादा हो और नुकसान के कम इसके लिए हड़बड़ी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए।
2. पर्याप्त विचारविमर्श ही नहीं बल्कि सभी हितधारकों को भरोसे में लेकर ही आगे कदम बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए जैसे कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया है उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि को ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
3. अभी जिन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है उनको कैसे संरेखित किया जाए। कैसे एक साथ सबको लाया जाए इस संबंध में ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके समर्थन में खड़े हो।
4. यह न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को भी ध्यान में रखना होगा कि अस्पष्ट जनाधार या त्रिशंकु संसद आदि की स्थिति में एक पर्याप्त नियामक और कानूनी तंत्र बनाने पर विचार किया जा सकता है, जो ऐसे किसी स्थिति से निपटने में सक्षम हो लेकिन इससे जनाधार को नुकसान ना हो इसका ध्यान रखना भी जरूरी है।
5. चुनाव को 5 वर्ष के लंबे अंतराल के बदले बीच में दो बार कराए जाने पर विचार किया जा सकता है,ताकि अगर किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो अगले चक्र में उस राज्य के लिए पुनः चुनाव कराए जा सकते हैं।
6. मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर भी सरकार को जोर देना होगा ।
7. यह लागू किया जाए कि नहीं इस फैसले को लेने का अधिकार सरकार पर नहीं बल्कि मतदाताओं पर होना चाहिए। सरकार इसके लिए जनमत संग्रह कराने पर भी विचार कर सकती है क्योंकि अंतत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में ऐसे अधिकार संविधान द्वारा "हम भारत के लोग" को सुदूर्प किए गए हैं।

निष्कर्ष

भारत में एक अर्ध-संघीय संरचना है, और संविधान इसे तब स्थापित करता है जब वह भारत को "राज्यों का संघ" कहता है, इसलिए, ओएनओई को देश की संघीय प्रणाली को कमजोर करने के रूप में देखा जा सकता है।
यदि केंद्र सरकार अपने कार्यकाल के बीच में ही गिर जाए तो क्या होगा? क्या सभी राज्यों में दोबारा होंगे चुनाव? या फिर लगेगा राष्ट्रपति शासन? इस परिणाम के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए न केवल कई अन्य स्थितियों और प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा, बल्कि संविधान में और अधिक बदलावों के लिए एक खतरनाक मिसाल भी स्थापित होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दुर्गा दास बसु, भारत का संविधान: एक परिचय,2014,पृष्ठ 369)
2. ड्रॉफ्टस कांस्टीट्यूशन,21-2-1948, पृष्ठ 43.)
3. Chand Ashok: Federalism in India, MacMillan, London 1965,
4. Jons Morris: Government and Politics of India, Washington DC 1960)
5. Franda F Marcus: West Bengal and Federalism process in India, Prineeton University Press,1968p.384)
6. रूपा मंगलानी, भारतीय शासन एवं राजनीति राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 2020, पृष्ठ 189)
7. www.rajexpress.com
8. www.naidunia.com
9. www.bbc.com
10. https://navbharattime.indiatimes.com
11. https://hindi.eci.gov.in
12. https://niti.gov.in
13. http://lawcommissionofindia.nic.in
14. http://legalaffairs.gov.in
15. http://www.indiatoday.in
16. http://pib.gov.in